


शंकर / हाजूराम - 25/2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27.6.24	पत्रावली पेश। पत्रावली वाकि अपीलाट का फॉर दिनांक 8/8/24 को पेश हो।	
8/8/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 29/8/24 को पेश हो।	
29.8.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट का फॉर लसी के रिजर्वेशन विषय में 20 दिनों के अंदर का समय के अंदर न्यायिक कार्य स्थागित रखा। वकील अपीलाट का फॉर दिनांक 26.9.24 को पेश हो।	
12/9/24	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट ने उपास्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलाट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब अकमील दाखिल दफ्तार हो।	<p>अपील कागज नही चलाना चाहते हैं श्री 2024 में नोट प्रेस में खारिज हो</p> <p>12-9-2024</p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्स्टीट्यूट)</p>